



236/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नया चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1361 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 11 जुलाई 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में) | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| बैंक आफ बड़ौदा | 31780100002085 | IFSC Code BARBOTETARI | 159.43 |

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|----------|--------------|---------------------------------|------------------|---|---|
| 1 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-83 बजट/द्वितीय किस्त | न0पं0 उसका बाजार | मो0-कांशीराम नगर वार्ड नं0 3 में बदरी के घर से मुनीस एवं संतराम तथा हमीद एवं पूर्णमासी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण | 12.843 |
| 2 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-83 बजट/द्वितीय किस्त | न0पं0 उसका बाजार | मो0-कांशीराम नगर वार्ड नं0 3 में सोहरत अली के घर से रामकुमार, सर्वदेव एवं अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण | 15.854 |
| 3 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट/द्वितीय किस्त | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 02 में सुभाष नगर में शिव कुमार के घर से योगेन्द्र, सुक्छु, घनश्याम, जगदीश व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 17.594 |
| 4 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 03 कांशीरामनगर में किसान इण्टर कालेज से पावर हाउस तक इण्टरलाकिंग कार्य। | 11.135 |
| 5 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में रविन्द्र दुबे के खेत से नलकूप तक इण्टरलाकिंग, नाली व ढक्कन निर्माण कार्य। | 17.340 |
| 6 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में हरिहर पाण्डेय के घर से ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग, नाली व ढक्कन निर्माण कार्य। | 19.369 |
| 7 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में समय माता के स्थान से शमरान घाट तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 10.801 |
| 8 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में अवधेश के बगीचे से काली जी स्थान होते हुये सेखुई सड़क इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 14.106 |
| 9 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न0पं0 उसका बाजार | वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में कोमिल पाण्डेय के घर से नलकूप तक इण्टरलाकिंग, नाली व ढक्कन निर्माण कार्य। | 19.142 |



2286/2

दूर्याप- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

| क्र० सं० | जनपद का नाम | अल्पसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|----------|--------------|-------------------|------------------|--|---|
| 10 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न०प० उस्का बाजार | मु० आर्यनगर में अहमद रजा के मकान से इरशाद के घर होते हुए रियाज अली के घर एवं रियाज के घर होते हुये फैयाज के घर तक इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण कार्य। | 15.797 |
| 11 | सिद्धार्थनगर | अल्पसंख्यक-37 बजट | न०प० उस्का बाजार | मु० शेखनगर में अनीस के घर से सायरा के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 5.449 |
| | योग | | | | 159.43 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।



226/3

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी नहीं गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक